-12-02

आदेश

विविध वाद अभिलेख संख्या 7/99-2000 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह के न्यायालय में अंचल अधिकारी गाण्डेय के द्वारा संधारित कर आवेदक रामू मंडल को पूर्व से कायम जमाबंदी को कायम कर लगान रसीद निर्गत करने की अनुशंसा की गई तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता गिरिडीह को आदेश पारित करने हेतु भेजा गया है । इस वाद में रामू मंडल पिता पिरंगी मंडल मौजा पीपरासिंधा थाना गांडेय जिला गिरिडीह आवेदक हैं ।तथा शक्ति सिंह पिता___________ मौजा मरगो-मुंडा थाना गाण्डेय जिला गिरिडीह प्रतिपक्षी हैं । इस वाद में अंचल अधिकारी से अभिलेख प्राप्त होने के बाद विभिन्न तिथियों को सूचना निर्गत की गई तथा प्रस्तुत वाद से संबंधित सारे राजस्व कागजात न्यायालय में दाखिल करने हेतु आदेश दिया गया । सुनवाई के समय सर्वप्रथम अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस वाद में प्रश्नगत भूमि मौजा मरगोमुंडा थानानं0 535 खाता नं0 2 प्लौट नं0 54 रकबा 28. 75 एकड़ कुल रकबा मध्ये 3. 30 एकड़ भूमि सुरक्षित वन क्षेत्र है ।

इस सन्दर्भ में हल्का कर्मचारी के द्वारा मौजा मरगोमुंडा थाना नं0 535 खाता नं0 2 से संबंधित प्लौटों का ब्यौरा निम्नवत दिया है :-

खाता नं0	प्लौट नं0	सर्वे रकबा	अधिसूचित वन रकबा	शेष भूमि की स्थिति
2	50	20.85 ए0	20. 39 ए0	0. 046 ए0 परती
	51	29. 25 ,,	23. 70 ,,	5. 55 ए0 शक्ति सिंह वगै0 का दखल
	54	28. 75 ,,	3. 30 ,,	3.30 ए0 विवादित भूमि
	55	41. 40 ,,	36. 81 ,,	4. 59 शक्ति सिंह वगै0 का दखल
			104. 40 ए0	कुल 15. 95 एकड़

हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि यह भूमि टांड़ गढ़हा नाला के रूप में है । प्लौट नं0 54 में वन सीमा को घटा देने के बाद 25. 45 ए0 रह जाता है । स्थानीय जांच के समय ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में रामू मंडल के दादा को भूतपूर्व जमीन्दार से बजरिये हुकुमनामा से 5.60 ए0 फसली 1336 साल तुलो मंडल को प्राप्त हुआ । माल चार रूपया दो आना (4. 12) अंकित किया गया है । इसकी सम्पुष्टि एवं जमाबंदी पुरानी राजस्व पंजी वर्ष 1954-55 में दर्ज है । तथा 1955 में लगान रसीद निर्गत कर प्रविष्टि की गई है एवं उसपर रामू मंडल के द्वारा प्लौट नं0 54 एवं उक्त रकबा में दखलकार एवं जोत-आवाद करते थे । आवेदक को भूतपूर्व जमीन्दार जानकी सिंह द्वारा मौजा मरगोमुंडा के खाता नं0 2 प्लौट नं0 54 रकबा 7 विगहा लगभग 5.60 ए0 भूमि के पूर्वज तुलो मंडल के नाम से हुकुमनामा द्वारा हासिल था एवं तुलो मंडल के नाम से वर्ष 1955 में की गई है ।

28/12/02

28/12/

इन्हें सम्पुष्टि बुझारत पंजी में भी की गई । इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक के दादा तुलो मंडल को बन्दोवस्ती की गई थी । बुझारत पंजी उसका सटीक प्रमाण है । साथ ही साथ लगातार खतियान में भी बन्दोवस्ती दिये जाने की प्रमाण उल्लेखित है। लेकिन उक्त अवधि से लगान रसीद बाकी रहा है जो विवाद का कारण है ।

इस संदर्भ में अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक रामू मंडल के द्वारा दिए गये आवेदन के आधार पर शक्ति सिंह के नाम से 15.50 एकड़ की जमाबंदी है जिसमें 9.20 एकड़ खाता नं० 2 एवं 18 मालगुजारी 3.87 अलावे ... का जमाबंदी की जांच की गई । प्लौट नं० 52, 53, 56, 41, 87 एवं 107 कुल रकबा 2.30 एकड़ माल 4.12 पैसा की सम्पुष्टि बुझारत पंजी से शक्ति सिंह वगैरह के की गई तथा खाता नं० 2 की विवादित प्लौट नं० 54 एवं 51 के प्लौटों में विपक्षी का दावा है है कि कर्मचारी ने लिखा है कि खाता नं० 1054 में शक्ति सिंह वगैरह को 2.30 एकड़ भूमि बन्दोवस्ती की गई है जिसे manipulation कर रकबा बढ़ाकर 9.30 एकड़ कर दिया गया है जो बिलकुल नाजायज है । इस प्रकार आवेदक के पूर्वज के नाम से कायम जमाबंदी 5.60 एकड़ पर विपक्षी रकबा बढ़ाकर दावा करते हैं । विपक्षी शक्ति सिंह 1955 से कायम है लेकिन किन-किन प्लौट से कायम है इसका विपक्षी ने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया, सिर्फ खाता नं० 18 की प्लौट नं० 52, 53, 56 की सम्पुष्टि बुझारत पंजी से होता है । इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी शक्ति सिंह की जमाबंदी खाता नं० 2 में 2.30 एकड़ का जमाबंदी होनी चाहिए । लेकिन 9.20 एकड़ भूमि की मान्यता नहीं दी जा सकती है ।

शक्ति सिंह वगैरह उक्त मौजा के खाता नं० 2 प्लौट नं० 50, 51, 55 निर्विवाद (undisputed) है । जिसमें शक्ति सिंह वगैरह का दखल है ।

तुलो मंडल को भूतपर्व जमीन्दार ने मौजा मरगोमुंडा के खाता नं० 2 प्लौट नं० 54 में रकबा 5.60 एकड़ भूमि बन्दोवस्त किया गया है जो सही है । अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि उभय पक्षों को सुनने के बाद ... में लिखा है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि रामू मंडल वगैरह के नाम से राजस्व पंजी ।। में जमाबंदी कायम है एवं पूर्व से लगान रसीद निर्गत हुई थी । वर्ष 1972-73 में 2.30 एकड़ को 9.20 एकड़ का निर्गत करा लिया है, जो बिलकुल ही नाजायज है तथा खाता नं० 2 प्लौट नं० 54 में मात्र 2.30 एकड़ भूमि ही प्राप्त थी । इसे बढ़ाकर 9.20 एकड़ करा लिया है । इस प्रकार की हेरा-फेरी करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध में [illegible]

दोनों पक्षों के विद्वान [illegible]

का अवलोकन किया में पाया गया कि आवेदक रामू मंडल के [illegible]

रसीद भी निर्गत की गई है । इसकी पुष्टि राजस्व पंजी ।। एवं बुझारत पंजी से की गई है । अतः इसे कायम रखते हुए आवेदक रामु मंडल पिता फिरंगी मंडल के नाम से लगान रसीद निर्गत करने का आदेश दिया जाता है । साथ ही साथ शक्ति सिंह वगैरह के नाम से खाता नं0 18 में 9.20 एकड़ की जमाबंदी जो 2.30 एकड़ की भूमि को Manipulationकर बनाया गया है, उसे सुधार करने का आदेश दिया जाता है तथा विपक्षी के नाम से मौजा मरगोमुंडा के खाता नं0 18 प्लौट नं0 52, 53 एवं 56 कुल रकबा 2.30 की जमाबंदी है, को सही पाकर मांग चालू रखने का आदेश दिया जाता है ।

अंचल अधिकारी गाण्डेय द्वारा पारित आदेश के आलोक में कार्रवाई करते हुए न्यायालय को सूचित करें ।

28/12/2002
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गिरिडीह ।

लेखापित
28/12/2002
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गिरिडीह ।